प्रेस नोट **दिनांक 25.07.2026**

थाना समाधान दिवस पर जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम मे 25.07.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन द्वारा थाना घोसी पर उपस्थित रहकर थाना समाधान दिवस पर जनशिकायतों को सुना गया साथ ही साथ जनपद के समस्त थानों पर भी थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान द्वारा समस्त थानों पर क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर प्राप्त 186 प्रार्थना पत्रों में से कुल 20 प्रार्थना पत्रों का मौके पर पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 25.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 30 टीम गठित कर जनपद के 35 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 465 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 04 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

पुलिस मुठभेड़ में 01 वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन मे अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी दोहरीघाट पुलिस द्वारा दिनांक 25.07.2026 को देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर गोफा नहर पुलिया के पास से मु0अ0स 138/26 धारा 109(1, 351(3), 338, 336(3) बीएनएस

3/25 आर्म एक्ट से संबंधित अभियुक्त कृष्णा गोंड पुत्र जय प्रकाश गोंड निवासी यूसुफपुर थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कृष्णा गोंड पुत्र जय प्रकाश गोंड निवासी यूसुफपुर थाना रामपुर जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 133/ 2026धारा3 (5), 109(1), 134 बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. मु138 स0अ0/109 धारा 26(1, 351(3) ,338 ,336)33 बीएनएस (/आर्म एक्ट 25

प्रेस नोट

25/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त राजकुमार पुत्र रामअवतार निवासी रसूलपुर रौजा थाना चिरैयोकोट जनपद मऊ।
2. थाना रामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त तस्लीम आरिफ पुत्र नसरुद्दीन निवासी फतहपुर मण्डाव थाना रामपुर को गिरफ्तार का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

मारपीट करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के द्वारा जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व **अपर**

पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व **क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.07.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम को क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूचना मिली की दिनांक 21.07.2026 को हूई मारपीट जिसमें एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया था, उस घटना में सम्मिलित आरोपीगण संगत घाट पर मौजूद है कि उक्त सूचना पर 04 व्यक्तियो को मौके पर गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवरण पूछताछ-

पकड़े गये व्यक्तियो 1. सुमित यादव पुत्र नागा यादव सा0 बल्लीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ, 2- सत्यम यादव पुत्र संतु यादव सा0 भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ, 3- विजय सोनकर पुत्र रामचन्द्र सोनकर सा0 औरंगाबाद डिहवा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, 4- अरविन्द सोनकर पुत्र रामचन्द्र सोनकर सा0 औरंगाबाद डिहवा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से पूछताछ किया गया तो तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 21.07.2026 को उनके तथा अनुज यादव उर्फ प्रिंस पुत्र रविन्द्र यादव सा0 मुहल्ला निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के मध्य आपसी वर्चस्व व पुरानी रंजिश को लेकर रात्रि में मारपीट हूई थी, जिसमें उनके द्वारा अनुज यादव को मारपीट कर काफी गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था।

पंजीकृत अभियोग का विवरण....

1. मु107 0सं0अ0/ धारा 2026115(2)/352/351(2)/110/324)4(BNS थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण ....

1. सुमित यादव पुत्र नागा यादव सा बल्लीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ 0
2. सत्यम यादव पुत्र संतु यादव सा भीटी थाना कोतवाली 0जनपद मऊ
3. विजय सोनकर पुत्र रामचन्द्र सोनकर साऔरंगाबाद डिहवा थाना दक्षिण टोला जनपद 0 मऊ
4. अरविन्द सोनकर पुत्र रामचन्द्र सोनकर साऔरंगाबाद डिहवा थाना दक्षिणटोला जनपद 0 मऊ

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या करने वाले 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25,000-25,000 /- रू0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0 798/2013 धारा 147,148,149,302,504,506, 120B भादवि थाना घोसी जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 25.07.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या करने वाले अभियुक्तगण 1. प्रदीप चौहान पुत्र इंद्र बहादुर चौहान निवासी ठकुरमनपुर थाना सरायलखनसी 2. धनेश पुत्र शोभा यादव निवासी अरेला थाना रानीपुर जनपद मऊ को आजीवन कारावास की सजा व कुल 50,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।